भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction Services & Estate Management
निदेशक कार्यालय / Director's Office

तीसरा तल, वि.सा.भवन,/ 3rd Floor, V.S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर/Anushaktinagar,
मुंबई/Mumbai-400 094.

सं.:निसेसंप्रनि DCSEM /निदे/DIR/215(ए)/39 मई 26 2025

कार्यालय आदेश क्र. OFFICE ORDER NO. 23/2025

विषय Sub : अनुरक्षण कार्यों हेतु शासी निकाय (जीबी) का पुनर्गठन । Reconstitution of Governing Body (GB) for maintenance works.

शासी निकाय के कुछ सदस्यों के अधिवर्षिता के एवं निसेसंप्रनि के कुछ निश्चित पदों के पुनर्रचना के कारण एवं इस संबंध में पहले के सभी संप्रेषणों के अधिक्रमण में, शासी निकाय (जीबी) का निम्नानुसार पुनर्गठन किया गया है। Consequent upon the superannuation of some of the members of Governing Body & re-structure of some of the designated posts in DCSEM and superseding all earlier communications in this regard, the Governing Body (GB) is reconstituted here as under:-

01.	मुख्य अभियंता (ईएसजी), निसेसंप्रनि Chief Engineer (ESG), DCSEM	-	अध्यक्ष Chairman
02.	प्रधान (ईएसडी-III), निसेसंप्रनि Head, ESD-III, DCSEM	-	अतिरिक्त अध्यक्ष Additional Chairman
03.	प्रधान (ईएसडी-II), निसेसंप्रनि Head, ESD-II, DCSEM	-	सदस्य Member
04.	प्रधान (ईएसडी-I), निसेसंप्रनि Head, ESD-I, DCSEM	-	सदस्य Member
05.	प्रधान (ईएवंआईटीएसडी), निसेसंप्रनि Head (E&ITSD), DCSEM	-	सदस्य Member
06.	श्री आलोक सक्सेना, स.वै/एफ , निसेसंप्रनि Shri Alock Saxena, SA/F, DCSEM	-	सदस्य सचिव Member Secretary

अध्यक्ष (जीबी) अनुरक्षण कार्यों के लिए मुख्य अभियंता की शक्तियों का प्रयोग करेंगे जैसा कि का.आ. संख्या 15 दिनांक 28.10.2020 द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है, प्रत्यायोजित किया गया है। Chairman of Governing Body (GB) shall exercise the powers of Chief Engineer for maintenance works as delegated vide Office order No.15 dated 28.10.2020 as amended from time to time also.

शासी निकाय के आमंत्रित सदस्यों के रूप में निम्नलिखित अधिकारी कार्य करेंगे एवं अध्यक्ष और अवर अध्यक्ष शासी निकाय द्वारा यथा निर्णित बैठक में आवश्यकता के अनुसार भाग लेंगे The following shall work as invited members of the Governing Body and shall attend as per the requirement decided by Chairman / Additional Chairman:

1.	वरिष्ठ अधीक्षक (पीएचईएस)/ प्रधान (पीएचईएस) Sr. Superintendent (PHES)/ Head (PHES)
2.	परियोजना वास्तुकार (ए) Project Architect (A)

3.	उप लेखा नियंत्रक/ वरिष्ठ लेखा अधिकारी (व), निसेसंप्रनि Dy. Controller of Accounts/ Sr. AO(W), DCSEM
4.	प्रधान क्यूएस (ए)/प्रधान क्यूएस (बी)/ प्रधान क्यूएस (सी), सीक्यूडी, निसेसंप्रनि Head QS (A) / Head QS (B) / Head QS (C), CQD, DCSEM
5.	सम्बंधित प्रशासन अधिकारी- III, निसेसंप्रनि Concerned Administrative Officer-III, DCSEM
6.	अन्य जरूरी अधिकारी Any other officer as required

शासी निकाय के अध्यक्ष एवं कोई भी तीन सदस्य मामले पर निर्णय ले सकते हैं। शीसी निकाय के अध्यक्ष की छुट्टी के दौरान या अनपेक्षित परिस्थितियों के कारण उनकी अनुपस्थित में अवर अध्यक्ष, शासी निकाय अध्यक्ष का कार्यभार संभाल सकते हैं एवं अन्य तीन सदस्यों के साथ निर्णय ले सकते हैं। Any three members of Governing Body and inclusive of Chairman, Governing Body can decide the matter. In absence of Chairman, Governing Body due to unforeseen reason or on leave, Additional Chairman, Governing Body with other three members can take decision and look after the works of Chairman, Governing Body.

किसी भी ब्रेकडाउन या सबसे महत्वपूर्ण जरूरी काम के मामले में, प्रमुख (ईएसडी -I/II,/III/पीएचईएस/ईएवंआईटीएसडी) निर्णय लेंगे और बाद में जीबी को सूचित कर सकते हैं। जीबी कम से कम पाक्षिक या आवश्यकतानुसार नियमित रूप से बैठक करेंगे। In case of any breakdown or utmost important urgent work, Head (ESD-I/II/III/PHES/E&ITSD) shall take decision & can inform the Governing Body at later stage. The Governing Body shall meet regularly at least fortnightly or as required.

जीबी की चर्चा का रिकॉर्ड निरपवाद रूप से निदेशक, निसेसंप्रनि को जानकारी और अनुमोदन के लिए जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत किया जाएगा । The record of discussion of Governing Body shall invariably be put up to Director, DCSEM for information & approval as the case may be.

यह दिनांक 01.06.2025 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। This will come into effect from 01.06.2025 until further orders.

26/05/2025

(के. महापात्रा K. Mahapatra)
निदेशक Director

शासी निकाय के अध्यक्ष एवं सदस्य, और ऊपर आमंत्रित व्यक्तिगण.
Chairman & Members of the Governing Body and above invitee(s)

प्रतिलिपि Copy to:

1. मुख्य अभियंता (सीनिस) निसेसंप्रनि / CE (CCG)
2. मुख्य अभियंता (ईएसजी) / CE (ESG)
3. प्रमुख (ईएमपीडी) /Head (EMPD)
4. प्रमुख (पीसीडी) /Head (PCD)
5. प्रमुख (कें.मा.प्र) /Head (CQD)
6. मुख्य प्रशासन अधिकारी / Chief Administrative Officer
7. संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) / Joint Controller (F&A)